न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–2 बारां जिला बारां(राज0)

पीठासीन अधिकारी	:	गौरव शर्मा, आर.जे.एस. (डी.जे. केडर)
आपराधिक विविध सं0	:	169 / 2026
सी.आई.एस. नम्बर	:	366 / 2026
सी.एन.आर.नम्बर	:	RJBR010008792026

चार्ल्स रोडरिक पुत्र सिरील जोसेफ उम्र 46 साल निवासी रेल्वे कॉलोनी, आर.बी.1–85–ए सत्यनारायण मंदिर के पास, वल्लभ भाई पटेल वार्ड, मुरवारा कटनी (मध्यप्रदेश) हाल रोशन नगर, छोटी मस्जिद के पास, कटनी पुलिस थाना एन.के.जे., कटनी जिला कटनी (मध्यप्रदेश)

–प्रार्थी / अभियुक्त–

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां (राज0)

–अप्रार्थी / विपक्षी–

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एफ.आई.आर. सं0 07 / 2025, पुलिस थाना **साइबर बारां**
अपराध अंतर्गत धारा 316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023
एवं धारा 66 डी.आई.टी.एक्ट

उपस्थित :–

1– श्री रूपेन्द्र सिंह, अधिवक्ता– प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।

2– विद्वान अपर लोक अभियोजक– राज.राज्य की ओर से।

–:: आदेश ::– दिनांक :–02.06.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्त **चार्ल्स रोडरिक** की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना साइबर बारां की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07 / 2025 के संदर्भ में, उसका जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के द्वारा दिनांक 22.05.2026 को खारिज किये जाने के उपरांत, श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवायी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2025 को फरियादी विष्णु गालव पुत्र प्रेमनारायण गालव ने उपस्थित थाना होकर एक प्रार्थनापत्र इस आशय की पेश किया कि दिनांक 05.09.2025 को उसके मोबाइल फोन पर मैसेन्जर ऐप के माध्यम से एक महिला द्वारा संपर्क किया गया, जिसने अपना नाम हरमन कौर बताया। उसने स्वयं को मूल रूप से अमृतसर (पंजाब) का निवासी बताया तथा वर्तमान में बैंगलुरू में इन्फोसिस

कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत होना बताया। उसके द्वारा उसे अपना वाट्सअप नं0 7477836640 दिया गया, जिस पर लगातार बातचीत होने लगी। कुछ समय पश्चात् उसने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से संचालित एक ट्रेडिंग ऐप CMC Global Market के बारे में जानकारी दी तथा इसमें निवेश कर अधिक लाभ कमाने काझांसा दिया। जिस पर उसने उक्त ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने हेतु विभिन्न तिथियों में अपने बैंक खाते से RTGS/ ट्रांसफर के माध्यम से राशि जमा की। जमा की गयी राशि ऐप में डॉलर में कन्वर्ट होकर दिखाई जाती थी तथा प्रारम्भ में उसे 54,000/–रूपये का लाभ दिखाकर विश्वास में लिया, इसके पश्चात् आरोपी द्वारा बार–बार उससे लाखों रूपये निवेश करवाये गये। जब उसने अपनी जमाराशि निकालने की कोशिश की तो आरोपी द्वारा बतायागया कि अब Foreign Money Exchange Fees/Trading Fees जमा करनी होगी, जो पहले ट्रेडिंग एकाउण्ट में डालनी आवश्यक है, तब उसे आभास हुआ कि वह एक साइबर धौखाधड़ी का शिकार हो चुका है। इस प्रकार दिनांक 02.10.2025 से 04.12.2025 के मध्य उसके खाते से तथा उसकी पत्नि संगीता गालव के खाते से विभिन्न बैंकों के माध्यम से बड़ी धनराशि जमा करवायी गयी, जिसका विवरण इस प्रकार है, दिनांक 02.10.2025 को बैंक खाता संख्या 26121000001730 एच.डी.एफ.सी.बैंक से 50,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल एच.डी.एफ.सी.सी.एन. 52025100206139532, दिनांक 07.10.2025 को बैंक खाता संख्या 26121000001730 एच.डी.एफ.सी. बैंक से 3,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल एच.डी.एफ.सी.सी.आर. 52025100769194411, दिनांक 10.10.2025 को बैंक खाता संख्या 26121000001730 एच.डी.एफ.सी. बैंक से 5,30,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल एच.डी.एफ.सी.सी.आर. 52025101070734809, दिनांक 23.10.2025 को बैंक खाता संख्या 26121000001730 एच.डी.एफ.सी. बैंक से 4,25,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल एच.डी.एफ.सी.सी.आर. 52025102375319393, दिनांक 28.10.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003225 बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,20,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल बी.ए.आर.बी.आर. 52025102800930236, दिनांक 29.10.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003225 बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल बी.ए.आर.बी.आर. 52025102900986653, दिनांक 10.11.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003304 बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल बी.ए.आर.बी.आर. 5202511100080394, दिनांक 15.11.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003304 बैंक ऑफ बड़ौदा से 11,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल बी.ए.आर.बी.आर. 52025111500894315, दिनांक 20.11.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003304 बैंक ऑफ बड़ौदा से 11,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल बी.ए.आर.बी.आर. 52025112000912765, दिनांक 27.11.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003304 बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल

बी.ए.आर.बी.आर. 52025112700972013, दिनांक 28.11.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003225 बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल बी.ए.आर.बी.आर. 52025112800826085, दिनांक 04.12.2025 को बैंक खाता संख्या 20100075873927 केन्द्रीय सहकारी बैंक से 11,50,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल आर.एस.सी.बी.आर. 52025120439049598, दिनांक 05.12.2025 को बैंक खाता संख्या 57950100003225 बैंक ऑफ बड़ौदा से 6,00,000/–रूपये डाले, जिसकी ट्रांजेक्शन डिटेल बी.ए.आर.बी.आर. 52025120500946498 हरमन कौर द्वारा उसे उसका आधार कार्ड उसके वाट्सअप नम्बर 7014897683 पर भेजकर व उसे विश्वास में लेकर फर्जी ट्रेडिंग ऐप एवं झूंठे लाभ का लालच देकर उसके साथ आर्थिक अपराध किया गया है ....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण सं0 07/2025 अपराध धारा 316(2), 318 (4) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 66डी आई.टी. एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा सहअभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध पूर्व में विचारण न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 07.04.2026 को पेश कर अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण लंबित रखा गया जिस पर विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां में प्रकरण 226/2026 दर्ज रजिस्टर किया गया है व प्रार्थी/अभियुक्त चार्ल्स रोडरिक व अन्य जिशान मोहम्मद, विकास तिवारी के विरूद्ध अपराध धारा 316(2), 318(4), 319(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 66डी आई.टी. एक्ट के तहत आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में दिनांक 01.06.2026 को पेश हो चुका है।

4. मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्त **चार्ल्स रोडरिक** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार होना बताया गया है :–

क0 सं0	मुकदमा नंबर मय थाना	धारा	चालान नंबर मय दिनांक	वर्तमान स्थिति
01.	99/26 थाना कुठला कटनी	318(4), 319(2) बी.एन.एस.	जैर अनुसंधान	–

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क रहा है प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसका उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, उसे उक्त प्रकरण में रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। परिवादी द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. में प्रार्थी/अभियुक्त का कोई नाम नहीं लिया गया है। आरोपित अपराध ऐसा नहीं है जिसमें आजीवन कारावास अथवा मृत्यदंड की सजा का प्रावधान हो। प्रार्थी/अभियुक्त रेल्वे कॉलोनी आर.बी.–1–85–ए सत्यनारायण मंदिर के पास, वल्लभ भाई पटेल वार्ड, मुरवारा, कटनी (मध्यप्रदेश) हाल रोशन नगर छोटी मस्जिद के पास, कटनी पुलिस थाना एनकेजे कटनी जिला कटनी (मध्यप्रदेश) का स्थायी निवासी है, जिसके कहीं फरार होने या भागने का अंदेशा नहीं है। प्रकरण के

विचारण एवं निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध में जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

6. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया और केस डायरी का अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त चार्ल्स रोडरिक के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ शामिल होकर फरियादी विष्णु गालव से ठगी गई राशि अपने व अन्य के बैंक खाते में प्राप्त कर साईबर ठगी करने से संबंधित अपराध धारा 316(2), 318(4), 319(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 66डी आई.टी. एक्ट का प्रथम दृष्टया प्रमाणित माना जाकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। पूर्व में सहअभियुक्त राजेश कुमार कुशवाह का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2026 को व सहअभियुक्त मोहम्मद जिशान का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2026 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जा चुके हैं, प्रार्थी/अभियुक्त चार्ल्स रोडरिक का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। वर्तमान समय में साईबर अपराध से जुडे मामलों में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है जिसको ध्यान में रखते हुए अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रकरण के इस स्तर पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **चार्ल्स रोडरिक** की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)

10. आदेश आज दिनांक **02.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–2, बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.02 15:20:18 IST